सेवा मे
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड
लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग

विषय- गेणाणा - भेलुन्ता सिरवाड़ी मोटर मार्ग के सर्वेक्षण के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र

महोदय निवेदन है कि उपरोक्त मोटर मार्ग लम्बाई 6 कि०मी० का सर्वेक्षण दिनांक 01/5/12 से किया गया जो गेणाणा प्राथमिक विद्यालय पंचायत हैलीपैड के सामने से, होते हुए भेलुन्ता गांव के निचे नाप खेतो से ~~चौलाखेक होते~~ चौण्डाधार बैण्ड देकर फिर- कालाखेक होते हुए सिरवाड़ी के मे गोरपा सिरवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 07 आखरी बैण्ड तक जो सर्वेक्षण किया गया उसमे, हम समस्त ग्राम वासियो की नाप भूमि एवं वन भूमि आ रही है जिसके निर्माण मे किसी भी ग्राम वासियो की कोई आपत्ति नही है,

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण कार्य की अग्रिम कार्यवाही अतिशिघ्र करने की कृपा किजियेगा,

दिनांक 3/5/2012

हस्ताक्षर काश्तकार
(1) [signature]
(2) [signature]
(3) [signature]
(4) [signature]
(5) [signature]
(6) प्रेमसिंह
(7) रेशमी

भवदीय
समस्त क्षेत्रीय जनता
एवं ग्रामवासी गेणाणा भेलुन्ता
सिरवाड़ी, ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत बणाणी
ह० [signature]
दि० ....
वि० ख० अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग

Photocopy attested

[signature]
Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

PTO

~~111(A)~~

34(A)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

भू – गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0– 607 / सड़क / पुल समरेखण / गढ़वाल / 2014

Geological Assessment of the alignment corridor proposed for Gainthana to Sirwadi motor road, District- Rudraprayag.

07–नवम्बर–2014

~~41(B)~~
34(B)

Geological Assessment of the alignment corridor proposed for Gainthana to Sirwadi motor road, District- Rudraprayag.

Vijay Dangwal

07-11-2014

1- Introduction:- The Provincial Division, Public Works Department, Rudraprayag has proposed the construction of 5.00 km long motor road namely Gainthana to Sirwadi motor road, Distt. Rudraprayag. On the request of Er. Indrajeet Bose, Executive Engineer I carried out the geological/geotechnical assessment of the site proposed for the above said bridge on 10.10.2014 in presence of Er. Alim Akhtar, Astt. Engineer and Er. Amit Kumar, Jr. Engineer, P.D, PWD, Rudraprayag.

2- Location:- The alignment in question originates from km 8.00 of Kot-Randhar-Badhanital motor road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY).

3- Geological Assessment:- Geologically the alignment corridor proposed for Gainthana-Sirwadi motor road lies in the Higher Himalayan Belt comprised of high grade metamorphic rocks generally named as Central Crystallines. The cross slopes of the proposed alignment are inclined at moderate to steep angle and these are largely covered by the overburden material along with the scanty outcrops of gneisses and schists. Fresh, hard, compact and thickly bedded granite gneisses along with thin parting schists are exposed on the alignment slopes which sometimes have undergone partial weathering upto W_1 grade. The rock masses visible along the alignment corridor have been dissected by many linear discontinuities out of these four prominent sets of joints have been recorded at the site the details of these are given in the following table.

TABLE

S.No	Feature	Dip amount	Dip Direction
1	2	3	4
1	J_1 (Joint)	30^0	N 045
2	J_2 (joint)	58^0	N 220
3	J_3 (Joint)	70^0	N 055
4	J_4 (Joint)	65^0	N 340

The soils cover deposited on the cross slopes is mainly comprised of angular rock fragments of varying sizes embedded in silty clay and clay matrix. The soils are largely comprised of plastic clays which are hard and stiff under dry condition. The composite material deposited on the slope is naturally stiff and compact in nature.

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

41(C)
34(C)

The soils deposited on the cross slopes are dense and non dispersive in nature and these are free from soft soil contents.

By and large the alignment slopes are stable and presently free form any lands slide/ ground subsidence activities.

On the basis of the geological inspection, studies carried at the site and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road failing to these this report will be treated as cancelled automatically.

4- Recommendations:-

1. Form the road by full benching on the hill slope and stabilize the excavated hill slope by constructing suitably designed retaining and breast walls.
2. Excavate the hill side slope from top to bottom in order to maintain the overall stability of the hill slope.
3. Do not disposed the cut/excavated material into the valley side slopes otherwise disposed the waste on topographically suitable pre-identified dump yards.
4. The road must have adequate long and cross drainage arrangements and dispose the drained water on stable ground by safe means like gabion channel otherwise, the run off may erode the down hill slopes badly resulting in land sliding.
5. Design standards and specification laid down by IRC/MORTH for the similar construction should be strictly followed.

5- Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed site was found geologically suitable for the construction of of 5.00 km long motor road namely Gainthana to Sirwadi motor road, Distt. Rudraprayag.

7/11/2014

(Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Office of the Engineer in Chief,
PWD Dehradun.

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Division PWD
Rudraprayag

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A-230
A-2-31

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या
गैठाणा	00222500	672
सिरवाड़ी	00222900	657
भेलुन्ता		50
गंगानगर		120
	कुल	1499

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A-2-40
~~A-2-42~~

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि ....वर्षो की लीज पर ली जा रही है।

————–लागू नहीं है। ————–

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

A-2-44

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 है0
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.2450 है0
आरक्षित वन भूमि	–	2.8875 है0
निजी भूमि	–	0.3675 है0
योग	–	3.5000 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम – रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है– हाँ/नही
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हाँ/नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हाँ/नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है – हाँ/नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नही
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है – हाँ/नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हाँ/नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है –हाँ/नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं
15. क्या माचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ/नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस–पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ/नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है – हाँ / नहीं

यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रामण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हाँ / नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) – हाँ / नहीं

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है – हाँ / नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हाँ / नहीं

23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है – हाँ / नहीं

24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय – हाँ / नहीं

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं – हाँ / नहीं

26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण ग्राम वासियों की असहमति व अधिक एच०पी० बैण्ड आने के कारण।

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है – हाँ / नहीं

(5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है – हाँ / नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें – हाँ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ / नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है– यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित है – हाँ / नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हाँ / नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हाँ / नहीं

35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ / नहीं

36. एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) –हाँ / नहीं

37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है – हाँ/नहीं

38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं – हाँ/नहीं

41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है – हाँ/नहीं

42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है – हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेखण रखा गया है। परन्तु प्रस्तावित समरेखण में एच पी बैण्ड अधिक हैं, जिस कारण स्थानीय जनता /जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त समरेखण पर असन्तोश व्यक्त किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 3.1325 हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 16.75 लाख प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0 52.47 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट – प्रतिशत की दर से – रू0 होता है।

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक	तहसीलदार जखोली	उपजिलाधिकारी जखोली	जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0**

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग/सेतु की लम्बाई (वास्तविक) – 5.00 किमी0

मार्ग में पड़ने वाले ग्राम – आबादी

गैठाणा	672
सिरवाडी	657
भेलुन्ता	50
गंगानगर	120
कुल	1499

मार्ग/सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :– 78°55'50.36" N

देशान्तर :– 30°29'27.90" E

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

भू–संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू–संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत गैठाणा–सिरवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 5.00 किमी0

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान–

किमी0 1	–	हेमी0 0–2
किमी0 1	–	हेमी0 6–8
किमी0 2	–	हेमी0 4–6
किमी0 3	–	हेमी0 4–6
किमी0 4	–	हेमी0 2–4
किमी0 5	–	हेमी0 6–8

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

भाषशासी अभि...
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग